क्षेत्रीय अल्पसंख्यक एवं उनकी समस्याएँ
(REGIONAL MINORITIES AND THEIR PROBLEMS)

जब हम भारत में अल्पसंख्यक समुदायों पर विचार करते है तो साधारणतया अल्पसंख्यक का तात्पर्य धर्म और भाषा से सम्बन्धित अल्पसंख्यक समुदायों से होता है। वैधानिक और राजनैतिक आधार पर भी धर्म और भाषा को ही अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का आधार माना जाता है। यदि हम अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार करें, तो हमारे समाज में एक नया अल्पसंख्यक समुदाय सामने आता है जिसे हम क्षेत्रीय अल्पसंख्यक कह सकते है। **क्षेत्रीय अल्पसंख्यक का अभिप्राय उस समुदाय से है जो साधारणतया बहुसंख्यक समुदाय का एक हिस्सा होता है लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उसकी स्थिति अल्पसंख्यक समुदाय की तरह होती है।** उदाहरण के लिए भाषा के आधार पर हिन्दी भाषा से सम्बन्धित लोग बहुसंख्यक हैं लेकिन ऐसे लोग जब दक्षिण भारत या गैर-हिन्दी क्षेत्र में जाकर बसते हैं तो इनकी प्रस्थिति एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक की हो जाती है। ऐसे व्यक्ति उस क्षेत्र की भाषा को न समझ पाने के कारण अपने आपको एक अजनबी के रूप में पाने लगते हैं। उस क्षेत्र के मूल निवासी भी अपने से भिन्न भाषा वाले लोगों से दूर ही रहने का प्रयत्न करते है। धार्मिक आधार पर भी क्षेत्रीय अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याएं बहुत जटिल है, यद्यपि सरकार द्वारा वैधानिक आधार पर ऐसी समस्याओं पर साधारणतया कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

यदि हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या सम्बन्धी संरचना का विश्लेषण करें तो क्षेत्रीय अल्पसंख्यक की अवधारणा को सरलता से समझा जा सकता है। भारत में आज मुस्लिम जनसंख्या यहाँ की कुल आबादी का लगभग 16 प्रतिशत हिस्सा होने के कारण मुस्लिम समुदाय एक अल्पसंख्यक समुदाय है। इसके बाद भी काश्मीर में आबादी का बहुसंख्यक भाग मुस्लिम है जबकि हिन्दू समुदाय के लोग देश में बहुसंख्यक होने के बाद भी वहां अल्पसंख्यक हैं। इसी तरह भारत में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 3 करोड़ होने के कारण वे अल्पसंख्यक हैं लेकिन क्षेत्रीय आधार पर नागालैण्ड की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या ईसाई धर्म से सम्बन्धित होने के कारण वहां हिन्दू एक अल्पसंख्यक समुदाय है। बंगाल के अनेक जिलों की मुस्लिम जनसंख्या हिन्दू जनसंख्या से अधिक है जबकि पंजाब में सिक्ख धर्म को मानने वाले लोग वैधानिक रूप से अल्पसंख्यक होने के बाद भी व्यावहारिक रूप से बहुसंख्यक हैं तथा हिन्दू धर्म स सम्बन्धित व्यक्ति क्षेत्रीय आधार पर अल्पसंख्यक है। स्पष्ट है कि जब बहुसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र में निवास करते है जहां उनकी स्थिति अल्पसंख्यकों की तरह होती है तब ऐसे समुदाय को हम क्षेत्रीय अल्पसंख्यक कहते हैं। ऐसे समुदाय की कठिनाइयां और समस्याएँ तब और अधिक जटिल हो जाती हैं जब उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है।

क्षेत्रीय अल्पसंख्यक की अवधारणा का सम्बन्ध उन समुदायों से भी है जो किसी दुर्गम, पृथक् या सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने के कारण उन लाभों से वंचित रह जाते है जो देश के दूसरे समुदायों को प्राप्त होते रहते है। **जनजातियां (Tribes) इस तरह के क्षेत्रीय अल्पसंख्यक वर्ग का सर्वोत्तम उदाहरण हैं।** भारत में आज विभिन्न जनजातियों की जनसंख्या 9 करोड़ से भी अधिक है। यह वे लोग है जो दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ों, पठारी प्रदेशों या जंगलों में निवास करते रहे है। क्षेत्रीय पृथक्करण के कारण विभिन्न जनजातियों के लोग न तो बाहरी समुदायों के सम्पर्क में आ सके और न ही

Scanned with CamScanner

इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या जीवन के लिए आवश्यक कोई दूसरी सुविधाएँ समुचित रूप में प्राप्त हो सकीं। जनजातियों के धार्मिक विश्वास तथा रीति-रिवाज भारत के दूसरे सभी धार्मिक और भाषायी समुदायों से भिन्न है। इसके बाद भी जनजातीय समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता नहीं मिली। स्पष्ट है कि वर्तमान दशाओं में जनजातीय समुदायों को हम केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक समुदाय ही कह सकते है।

क्षेत्रीय अल्पसंख्यक की उपर्युक्त अवधारणा से स्पष्ट होता है कि इस तरह के समुदाय किसी देश की नरम अथवा दोषपूर्ण नीतियों का परिणाम होते हैं। साधारणतया जब राष्ट्रीय, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में कुछ दोष पैदा हो जाने के कारण अनेक समुदाय राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग-थलग पड़ने लगते है तब इसी से क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। वास्तव में क्षेत्रीय अल्पसंख्यक को एक सीमान्त समुदाय कहा जा सकता है। सीमान्तीकरण तिरस्कार और उपेक्षा से उत्पन्न होने वाली एक ऐसी दशा है जिसमें किसी समुदाय को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से इस तरह पीछे धकेल दिया जाता है कि वह हाशिये (margin) पर आ जाता है। जब कोई समुदाय सीमान्तीकरण की दशा में होता है तो उसकी स्थिति चौराहे पर खड़े एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो जाती है जो यह नहीं समझ पाता कि वह ईमानदारी के साथ किस दिशा में आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों की समस्याएँ (Problems of Regional Minorities) -

(1) **क्षेत्रवाद में वृद्धि**—क्षेत्रवाद यह भावना है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रत्येक दशा में अपने क्षेत्र के हितों को सर्वोपरि मानने पर बल देती है। जब विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामंजस्य की कमी होने लगती है तो एक क्षेत्र के निवासी किसी दूसरे क्षेत्र से वहां आकर बसने वाले लोगों को संदेह और उपेक्षा की निगाह से देखने लगते है। बाहरी लोगों के प्रति उनकी मानसिकता विरोध की होती है। साधारणतया यह समझा जाता है कि दूसरे क्षेत्रों के लोगों के आने से उनकी आर्थिक सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके फलस्वरूप क्षेत्रीय अल्पसंख्यक एक ओर विकास की सुविधाएं पाने से वंचित रह जाते हैं तो दूसरी ओर उनके लिए अपने पद या व्यवसाय से सम्बन्धित दायित्वों को निभाना कठिन हो जाता है।

(2) **पृथक्तावादी मनोवृत्तियाँ**—हमारे समाज में क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों की एक मुख्य समस्या तरह-तरह के पृथक्तावादी व्यवहारों के बीच जीवन व्यतीत करना है। यदि एक क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए राजनीतिक दल भी क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन देते हों तो क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों की समस्याएँ और अधिक बढ़ जाती हैं। राजनीतिक दलों के प्रभाव से यदि राज्य सरकार ऐसी नीतियों पर चलने लगती है जिससे आर्थिक विकास का लाभ केवल उसी राज्य के लोगों को प्राप्त हो, तो क्षेत्रीय अल्पसंख्यक स्वस्थ्य प्रतियोगिता से बाहर होने लगते हैं। धीरे-धीरे इस दशा से क्षेत्रीय असामंजस्य को प्रोत्साहन मिलने लगता है।

(3) **भाषायी समस्या**—भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्राचीन काल से ही अनेक भाषाओं का प्रचलन रहा है। इसके बाद भी भाषायी भिन्नता ने कभी एक सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक समस्या का रूप नहीं लिया। स्वतन्त्रता के बाद जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा का रूप देने का प्रयत्न किया गया तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों और विशेषकर दक्षिण के राज्यों ने इसका भारी विरोध करके अपनी भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा और शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए व्यापक आन्दोलन आरम्भ कर दिये। सन् 1955 में जब भाषा के आधार पर तत्कालीन सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन किया तो देश की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं रही। फलस्वरूप आज जब हिन्दी भाषी क्षेत्र से कोई व्यक्ति गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्र में जाता है तो उसकी दशा वहां एक ऐसे अजनबी की तरह हो जाती है जो वहां के निवासियों से विचारों का आदान-प्रदान नहीं कर पाता। भाषा विचारों के आदान-प्रदान और पारस्परिक अनुकूलन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसके अभाव में क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

(4) **सामाजिक तथा आर्थिक असुरक्षा**—भारत में स्वतन्त्रता से पहले तक कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी क्षेत्र में रहने और व्यवसाय करने के लिए पूरी तरह स्वतन्त्र था। इस समय तक समाज में क्षेत्रीय अल्पसंख्यक जैसा कोई पृथक् वर्ग नहीं था। स्वतन्त्रता के बाद देश के विभिन्न

Scanned with CamScanner

भागों में इस तरह की भावनाएं जोर पकड़ने लगीं कि एक क्षेत्र विशेष के रोजगार और नौकरियों में केवल उसी क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके फलस्वरूप सबसे पहले दक्षिण भारत में उत्तर भारत के उन आप्रवासियों का विरोध किया जाने लगा जो वहां स्थायी रूप से बस चुके थे। सभी जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल में विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों को संचालित करने में मारवाड़ियों की विशेष भूमिका रही थी। क्षेत्रीयता की मनोवृत्ति बढ़ने से राज्य की नीतियाँ ऐसा रूप लेने लगीं जिनके फलस्वरूप अधिकांश मारवाड़ियों और गुजरातियों को वहाँ अपना व्यापार और व्यवसाय बन्द करके देश के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसी तरह उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में भी क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों को आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा के बीच जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। सबसे नया उदाहरण महाराष्ट्र का है जहाँ गैर-मराठा लोगों का संगठित विरोध होने के कारण उनके सामने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक असुरक्षा बढ़ती जा रही है।

(5) **प्रव्रजन की समस्या**—प्रव्रजन (migration) गतिशीलता में सम्बन्धित एक सामान्य दशा है लेकिन प्रव्रजन तब एक गम्भीर समस्या बन जाती है जब किसी समुदाय को स्थानीय लोगों के एक विशेष सांस्कृतिक या राजनैतिक दबाव के कारण अपने निवास अथवा कार्य के स्थान को छोड़ने, के लिए विवश होना पड़ता है। यह दशा क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों के लिए आर्थिक रूप से बहुत हानिकारक होने के साथ ही उसमें मानसिक असुरक्षा को भी जन्म देने लगती है। किसी नये स्थान या क्षेत्र में जाकर बसने से लोग एकाएक अपने नये पर्यावरण से अनुकूलन नहीं कर पाते। इससे अक्सर पारिवारिक और सामुदायिक विघटन की आशंका भी बढ़ने लगती है।

(6) **शोषण में वृद्धि**—क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों का उस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा शोषण होना एक सामान्य समस्या है। वास्तव में क्षेत्रीय अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित लोग असंगठित होते हैं तथा असुरक्षा की भावना के कारण वे क्षेत्र के मूल निवासियों का विरोध करने की दशा में नहीं होते। यदि क्षेत्रीय अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से भी कमजोर होते है तो उनका शोषण और अधिक बढ़ जाता है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण वे जनजातीय समुदाय है जिनका आज नगर के उद्योगों और व्यवसायों में तरह-तरह से शोषण होने लगा है। उड़ीसा, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो लाखों श्रमिक महाराष्ट्र या पंजाब में आजीविका के लिए जाकर बस रहे हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक शोषण की घटनाओं से सभी परिचित है।

(7) **नियमहीनता तथा अलगाव की समस्या**—सामान्य शब्दों में नियमहीनता (Amomie) एक ऐसी दशा है जिसमें समाज की सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक संरचना कमजोर पड़ जाने से कानून विरोधी व्यवहारों को प्रोत्साहन मिलने लगता है। मर्टन (Merton) ने नियमहीनता को एक ऐसी दशा के रूप में स्पष्ट किया जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने लक्ष्य को समाज द्वारा अस्वीकृत साधनों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगता है। जब क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों का जीवन सामाजिक और आर्थिक रूप से असुरक्षित बनने लगता है तो वे सामाजिक नियमों का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से विचलित व्यवहारों की ओर बढ़ने लगते है। अलगाव (Alienation) क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित वह समस्या है जो नियमहीनता का ही परिणाम है। अलगाव एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति स्वाभाविक जीवन से अपने को अलग-थलग समझने लगता है। वह यह महसूस करने लगता है कि उसका जीवन शक्तिहीन, अर्थहीन और शेष समाज से पृथक् है। इस दशा में वह अनेक ऐसे कार्य करने लगता है जिनकी उससे आशा नहीं की जाती। नियमहीनता और अलगाव दोनों से ही वैयक्तिक विघटन में वृद्धि होती है।

क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों की समस्त समस्याओं से सम्बन्धित मुख्य प्रश्न यह है कि इन समस्याओं का कारण क्या है ? यदि हम कुछ प्रमुख कारणों को देखें तो स्पष्ट होता है कि सबसे मुख्य कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच असामंजस्य बढ़ना है। संसार के लगभग सभी देशों में कुछ न कुछ भिन्नताएं जरूर पायी जाती है लेकिन सामाजिक और राष्ट्रीय नीतियों के द्वारा उनके प्रभाव को दूर कर दिया जाता है। भारत में जाति, क्षेत्र और धर्म पर आधारित राजनीति के कारण क्षेत्रीय असामंजस्य लगातार बढ़ते रहने से इस समस्या को प्रोत्साहन मिला। दोषपूर्ण नीतियों के कारण आर्थिक विकास का निम्न स्तर भी इस समस्या का कारण है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर भारी धनराशि व्यय करने के बाद भी देश की लगभग एक तिहाई जनसंख्या गरीबी की सीमारेखा से नीचे है। रोजगार के अवसरों की कमी के कारण सभी क्षेत्रों के निवासी अपने क्षेत्र के रोजगार में बाहरी क्षेत्रों के

Scanned with CamScanner

लोगों की हिस्सेदारी सहन नहीं कर पाते। क्षेत्रीय राजनैतिक दलों की दूषित राजनीति से भी इस समस्या को प्रोत्साहन मिला। विभिन्न क्षेत्रों का आर्थिक असन्तुलन भी इसके लिए उत्तरदायी है। उड़ीसा, बिहार तथा पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में हरियाणा और पंजाब में प्रति व्यक्ति आय तीन गुना से भी अधिक है। इस तरह के आर्थिक असन्तुलन से भी क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों की समस्याएं बढ़ने लगती हैं।

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि धार्मिक, संजातीय और क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित अधिकांश समस्याओं का सम्बन्ध हमारे देश की एक असन्तुलित राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से है। इनका निराकरण तभी हो सकता है जब देश का सामाजिक-आर्थिक विकास सन्तुलित रूप से हो तथा राजनीति और प्रशासन भ्रष्टाचार से मुक्त हो। वर्तमान दशाओं में राजनैतिक दलों, बुद्धिजीवियों और नियोजनकर्ताओं का यह दायित्व है कि अल्पसंख्यक वर्ग को निष्पक्ष रूप से परिभाषित करके ऐसी व्यावहारिक नीतियां बनायी जायें जिससे वास्तविक अल्पसंख्यकों को विकास के समुचित अवसर मिल सकें।

Scanned with CamScanner